"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 जून 2010—ज्येष्ठ 28, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जून 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/1/2.—श्री एस. के. कुजूर, भा.प्र.से. (1986), मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग तथा सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, पदेन राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

रायपुर, दिनांक 2 जून 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/1/2.—श्री आर. एस. विश्वकर्मा, भा.प्र.से. (1991), सचिव, वित्त विभाग एवं आयुक्त-सह-संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, योजना तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 2 जून 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/1/2.—श्री दिलीप कुमार वासनीकर, भा.प्र.से., उप सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक नियंत्रक, नापतौल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 3 जून 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/एक/2.—श्री आर. एस. विश्वकर्मा, भा.प्र.से. (1991), सचिव, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा आयुक्त, सह संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, विमानन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री एस. के. बेहार, भा.प्र.से. (1992) सचिव, खनिज साधन एवं विमानन विभाग को केवल सचिव, विमानन विभाग के प्रभार से मुक्त करते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 4 जून 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/एक/2.—श्री आर. सी. सिन्हा, भा.प्र.से. (1982), सदस्य, राजस्व मण्डल, बिलासपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री सिन्हा, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है:

3. श्री सिन्हा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अवध बिहारी, भा.प्र.से. (1991), केवल आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा के प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 जून 2010

क्रमांक एफ 7-3/2010/1-6.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. दीनानाथ तिवारी, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य योजना मण्डल के स्थान पर श्री शिवराज सिंह, आय.ए.एस. (से.नि.) को आगामी आदेश पर्यन्त छत्तीसगढ़ राज्य योजना मण्डल, रायपुर का उपाध्यक्ष नियुक्त करता है.

2. श्री शिवराज सिंह, आय.ए.एस. (से.नि.) को, राज्य योजना मण्डल के उपाध्यक्ष के साथ-साथ मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ का सलाहकार भी नियुक्त किया जाता है.

3. नियुक्ति की शर्तें पृथक से जारी की जावेंगी.

रायपुर, दिनांक 2 जून 2010

क्रमांक एफ 10-09/2008/1/5.—श्री शिवराज सिंह, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) राज्य निर्वाचन आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर द्वारा दिनांक 31 मई, 2010 (अपरान्ह) से अपना पद त्याग दिया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 जून 2010

क्रमांक एफ 10-17/2010/1/5.—श्री शिवराज सिंह, सेवानिवृत्त (भा.प्र.से.) राज्य निर्वाचन आयुक्त, छत्तीसगढ़ को दिनांक 14-06-2010 से 25-06-2010 तक कुल 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

3. प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिवराज सिंह, राज्य निर्वाचन आयुक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 जून 2010

क्रमांक ई-7/2/2005/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28-4-2010 के द्वारा श्रीमती ऋतु सैन, भा.प्र.से., तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव को दिनांक 16-04-2010 से 01-05-2010 तक (16 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है. इसी अनुक्रम में श्रीमती सैन को दिनांक 02-05-10 से 07-05-2010 तक (06 दिवस) का और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दि. 08 एवं 09 मई 2010 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.

2. आदेश की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 1 जून 2010

क्रमांक ई-7/6/2005/1/2.—श्री टी. राधाकृष्णन, भा.प्र.से., अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर को दिनांक 19-05-2010 से 20-05-2010 तक (02 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राधाकृष्णन आगामी आदेश तक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री राधाकृष्णन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राधाकृष्णन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 5 जून 2010

क्रमांक 568/464/2010/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 487-488/254/2010/1-8/स्था., दिनांक 26-4-2010 द्वारा श्री अमृत लाल लिखार, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 10-5-2010 से 21-5-2010 तक 12 दिवस स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 22-5-2010 का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. पैरा-2, 3 एवं 4 विभागीय आदेश दिनांक 26-4-2010 के अनुसार यथावत् होगी.

रायपुर, दिनांक 5 जून 2010

क्रमांक 570/385/2010/1-8/स्था.—श्री आर. डी. दीवान, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 24-5-2010 से 5-6-2010 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. डी. दीवान को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. डी. दीवान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 मई 2010

क्रमांक/एफ 1/02/दो गृह/भापुसे/2004.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सुन्दरराज पी., भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर छ. ग. को दिनांक 24-05-2010 से दिनांक 02-06-2010 तक कुल 10 दिवस का पितृत्व अवकाश स्वीकृत करता है.

2. श्री सुन्दरराज पी., भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर के अवकाश अवधि में उनका कार्यभार श्री एस.एस. सोरी, रापुसे, पुलिस अधीक्षक, एस.आई.बी. जगदलपुर को उनके वर्तमान प्रभार के साथ-साथ सौंपा जाता है.

3. श्री सुन्दरराज पी., भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री सुन्दरराज पी., भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर के पद पर पदस्थ होंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुन्दरराज पी., भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 मई 2010

क्रमांक/एफ 1/11/दो गृह/भापुसे/2001—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ए. के. तिवारी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ. ग. को खंड वर्ष 2006-09 में निम्नानुसार सपरिवार भारत के किसी भी स्थान के अंतर्गत दिनांक 05-06-2010 से दिनांक 11-6-2010 तक कुल 07 दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 12-13 जून 2010 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करते हुए कन्याकुमारी जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा (एल.टी.सी.) की स्वीकृति प्रदान करता है :—

01. श्रीमती पुष्पा तिवारी (पत्नी)   02. चि. वैभव तिवारी (पुत्र)

2. श्री ए. के. तिवारी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ. ग. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. तिवारी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ. ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. के. तिवारी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, रायपुर अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

5. श्री ए. के. तिवारी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ. ग. को भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालयीन परिपत्र क्रमांक 31011/4/2008-Esst. (A), दिनांक 23-09-2008 के अनुसार 10 दिवस (दस दिवस) का अर्जित अवकाश समर्पित करने की अनुमति दी जाती है.

6. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त समर्पित अर्जित अवकाश का समायोजन अधिकारी के अवकाश लेखा में किया जाकर आवश्यक प्रविष्टियां उनकी सेवापुस्तिका में कर दी गई है.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2010

क्रमांक/एफ 1/14/दो गृह/भापुसे/2009—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल, भा.पु.से., (परि.) जिला कांकेर छ. ग. को स्वयं के विवाह हेतु दिनांक 02-06-2010 से दिनांक 21-06-2010 तक कुल 20 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करता है.

2. श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से., (परि.) जिला कांकेर छ. ग. को उक्त अवकाश अवधि में वहीं वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल, भापुसे, (परि.) जिला कांकेर के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल, भा.पु.से., (परि.) जिला कांकेर छ. ग. अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 2 जून 2010

क्रमांक/एफ 1/38/दो गृह/भापुसे/2001—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पी. एन. तिवारी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज, सरगुजा को दिनांक 21-05-2010 से दिनांक 25-05-2010 तक कुल 05 दिवस का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

2. श्री पी. एन. तिवारी, भापुसे, को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री पी. एन. तिवारी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज, सरगुजा के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. एन. तिवारी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज, सरगुजा अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एल. लिखार, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 जून 2010

क्रमांक/एफ 1/11/दो गृह/भापुसे/2004.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अमरेश कुमार मिश्रा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, दंतेवाड़ा, छ. ग. को खंड वर्ष 2010-11 के अंतर्गत गृह नगर बक्सर (बिहार) जाने हेतु दिनांक 03-06-2010 से दिनांक 17-06-2010 तक कुल 15 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए गृह नगर अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति प्रदान करता है.

2. श्री अमरेश कुमार मिश्रा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, दंतेवाड़ा, छ. ग. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. श्री अमरेश कुमार मिश्रा, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्यभार श्री ओ.पी. पॉल, भापुसे, सेनानी, 4 थीं वाहिनी, छसबल, माना, रायपुर को सौंपा जाता है.

4. अवकाश से लौटने पर श्री अमरेश कुमार मिश्रा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, दंतेवाड़ा, छ. ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमरेश कुमार मिश्रा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, दंतेवाड़ा, छ. ग. अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एच. सिद्धिकी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 मई 2010

क्रमांक-एफ 3-12/2010/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, क्रमांक-2 सन् 1974 की धारा-2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कालम नम्बर-3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम (1) की तत्संबंधित प्रविष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं. 2 में वर्णित पुलिस थाना/चौकी के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है.

क्र.	थाना/चौकी का नाम	उस पुलिस थाने का नाम, तह. जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्र	
			ग्राम का नाम	पटवारी ह. नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	चौकी-सीतागांव का थाने में उन्नयन	थाना-औंधी, तह.-मानपुर जिला-राजनांदगांव	सीतागांव	17
		—,,—	सेण्डावाही	17
		—,,—	हलान्जूर	17

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		थाना-औंधी, तह.-मानपुर जिला-राजनांदगांव	टाटेकसा	17
		—,,—	पीटेमेटा	16
		—,,—	मिचगांव	19
		—,,—	महका	17
		—,,—	पनेहुर	17
		—,,—	कुंजकन्हार	17
		—,,—	एडसमेटा	17
		—,,—	लेखेपाल	17
		—,,—	आमापायली	18
		थाना-मानपुर, तह.-मानपुर जिला-राजनांदगांव	आमाकोडो	16
		—,,—	कंदाड़ी	16
		—,,—	हलोरा	16
		—,,—	मुरझर	16
		—,,—	एडमा (बडमा)	16
		—,,—	सावरगांव	16
		—,,—	कुंदकाल	15
		—,,—	हुरवे	15
		—,,—	मूचर	17
		—,,—	मुंजाल	15
		—,,—	कारेकट्टा	17
		—,,—	रेते	17
		—,,—	मदनवाड़ा	15
		—,,—	हुरेली	15
		—,,—	दोरदे	15
		—,,—	कलवर	15
		—,,—	बोरकन्हार	15
2.	चौकी-बोरई का थाने में उन्नयन	थाना-सिहावा, जिला-धमतरी	बोरई	100
		—,,—	घुटकेल	100
		—,,—	लिखमा	100
		—,,—	मैनपुर	100
		—,,—	बनियाडोर	100
		—,,—	बुडरा	100
		—,,—	कारोपानी	100
		—,,—	बहीगांव	100
		—,,—	आमगांव (आमानारा)	100
		—,,—	बिरनासिल्ली	100
		—,,—	बरोली	100
		—,,—	मारियामारी	100
		—,,—	कट्टीगांव	100
		—,,—	भीरीगांव	100
		—,,—	मौहाबहरा	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		थाना-सिहावा, जिला-धमतरी	कसपुर	100
		—,,—	नवागांव	100
		—,,—	डोमपदर	100
		—,,—	बनोरा रै.वा.	100
		—,,—	बनोरा मा.गु.	100
		—,,—	सोनझरी	100
		—,,—	देवघुट	100
		—,,—	कोरमुड	100
		—,,—	आमगांव	100
		—,,—	अमाली	100
		—,,—	घोड़ावर	100
		—,,—	जैतपुरी	100
		—,,—	भुरसीडोंगरी	100
		—,,—	बोरबांधा	100
		—,,—	सीतानदी	100
		—,,—	सिंघनपुर	100
		—,,—	बम्हनीनभर्री	100
		—,,—	सोनपुर	100
		—,,—	मोतिमडीह	100
3.	चौकी-तेरेगांव का थाने में उन्नयन	थाना-मानपुर, तह.-मानपुर जिला-राजनांदगांव	सीतागांव	01
		—,,—	सम्बलपुर	01
		—,,—	बुकमरका	01
		—,,—	गट्टेगहन	01
		—,,—	उंचापुर	01
		—,,—	जामड़ी	01
		—,,—	कोहका	02
		—,,—	पुगदा	01
		—,,—	कोराचा	01
		—,,—	खेड़ेगांव	01
		—,,—	बेलगांव	02
		—,,—	मुरझरा	16
		—,,—	कुंदकाल	15
		—,,—	आमाकोड़ो	16
		—,,—	कोंडे	02
		—,,—	हनईकला	16
		—,,—	कंदाड़ी	16

रायपुर, दिनांक 29 मई 2010

क्रमांक-एफ 3-51/2009/बजट/गृह-दो—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, क्रमांक-2 सन् 1974 की धारा-2 के खण्ड (घ) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कालम नम्बर-3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम (4) की

तत्संबंधित प्रवृष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं. 2 में वर्णित पुलिस थाना/चौकी के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है.

क्र.	थाना/चौकी का नाम	उस पुलिस थाने का नाम, तह. जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्र	
			ग्राम का नाम	पटवारी ह. नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना-रूद्री तह. व जिला-धमतरी	थाना-अर्जुनी, तह. व जिला-धमतरी	करेठा	27
2.		—,,—	कोलियारी	27
3.		—,,—	अछोटा	26
4.		—,,—	मुड़पार	26
5.		—,,—	बरारी	26
6.		—,,—	भोयना	26
7.		—,,—	शकरवारा	26
8.		—,,—	कोटाभर्री	126-ए
9.		—,,—	अमेठी	27
10.		—,,—	परसुली	27
11.		—,,—	दर्री	28
12.		—,,—	खरेंगा	28
13.		—,,—	सारंगपुरी	28
14.		—,,—	देवपुर	10
15.		—,,—	ढिमरटिकुर	9
16.		—,,—	तेन्दूकोन्हा	26
17.		—,,—	मथुराडीह	26
18.		—,,—	जंवरगांव	29
19.		—,,—	लीलर	29
20.		—,,—	अरौद कलार	29
21.	तहसील नगरी	तहसील नगरी	भरारी	29
22.		—,,—	भंवरमरा	29
23.		—,,—	सियादेही	3
24.		—,,—	लहसुनवाही	167
25.		—,,—	कुकरेल	3
26.		—,,—	बॉसपारा (कुकरेल)	3
27.		—,,—	माकरदोना	3
28.		—,,—	कॉटाकुर्रीडीह	2
29.		—,,—	मोहलाई	3
30.		—,,—	सिरौदखुर्द	4
31.		—,,—	सिरौदकला	4
32.		—,,—	पथरीडीह	4
33.		—,,—	जरहाखार	4
34.		—,,—	बरबॉधा (बाजार कुर्रीडीह)	4
35.		—,,—	पीपरछेड़ी	4
36.		—,,—	बागोड़ार	29
37.		—,,—	बनबगौद	2
38.		—,,—	दरगहन	1
39.		—,,—	साल्हेभाठ	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
40.		तहसील नगरी	बाजार (कुर्रीडीह)	4
41.		—,,—	छुही	1
42.		—,,—	सलौनी	1
43.		—,,—	गेदरापारा (बाजार कुर्रीडीह)	4
44.		—,,—	बनरौद	3
45.		—,,—	मारदापोटी	3
46.		—,,—	कुम्हडा	3
47.	तहसील धमतरी	तहसील धमतरी	चिखली	91
48.		—,,—	तिर्रा	216
49.		—,,—	माटेगहन	422
50.		—,,—	कोहका	103
51.		—,,—	कोलियारी	100
52.		—,,—	अकलाडोंगरी	1
53.		—,,—	सटियारा	0
54.		—,,—	आडेकोन्हा	वनग्राम
55.		—,,—	कोडगांव माल	91
56.		—,,—	कोडेगांव रैययत	92
57.		—,,—	कोसमी	0
58.		—,,—	मालगांव	0
59.		—,,—	कोदागहन	88
60.		—,,—	पंडरीपानी	303
61.		—,,—	पंडरीपानी जै.पा.	303 अ
62.		—,,—	कोड़ेगांव बी	90
63.		—,,—	मोंगरागहन	438
64.		—,,—	भिडावर	382
65.		—,,—	सिंधोला	0
66.		—,,—	किशनपुरी	0
67.		—,,—	पटेलगुड़ा	271
68.		—,,—	हरफर	0
69.		—,,—	५टौद	272
70.		—,,—	बारगरी	329
71.		—,,—	दरबांधा	324
72.		—,,—	पहरियाकोन्हा	वनग्राम
73.		—,,—	सिलतरा	506
74.		—,,—	जंगलपारा वनग्राम	वनग्राम
75.		—,,—	कान्द्री	0
76.		—,,—	मोंगरी	0

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखाटे, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जून 2010

क्र. 5716/318/21-ब/छ. ग./2010.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री लखन लाल यदु, अधिवक्ता, दुर्ग जिला-दुर्ग को नियमित न्यायालय दुर्ग में शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 3 जून 2010

क्र. 5718/318/21-ब/छ. ग./2010.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री संतोष शर्मा, अधिवक्ता, दुर्ग जिला-दुर्ग को नियमित न्यायालय दुर्ग में शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 3 जून 2010

क्र. 5721/318/21-ब/छ. ग./2010.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री लखन लाल यदु, अधिवक्ता, दुर्ग, जिला-दुर्ग को नियमित न्यायालय, दुर्ग में शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 3 जून 2010

क्र. 5723/318/21-ब/छ. ग./2010.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री संतोष शर्मा, अधिवक्ता, दुर्ग, जिला-दुर्ग को नियमित न्यायालय, दुर्ग में शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 3 जून 2010

क्र. 5725/318/21-ब/छ. ग./2010.—राज्य शासन, एतद्द्वारा महेन्द्र कुमार राजपूत, अधिवक्ता, दुर्ग, जिला-दुर्ग को नियमित न्यायालय, दुर्ग में शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 3 जून 2010

क्र. 5727/318/21-ब/छ. ग./2010.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री महेन्द्र कुमार राजपूत, अधिवक्ता, दुर्ग जिला-दुर्ग को नियमित न्यायालय दुर्ग में शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 3 जून 2010

क्र. 5729/318/21-ब/छ. ग./2010.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्रीमती गौरी चक्रवर्ती, अधिवक्ता, दुर्ग जिला-दुर्ग को नियमित न्यायालय दुर्ग में शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 3 जून 2010

क्र. 5731/318/21-ब/छ. ग./2010.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्रीमती गौरी चक्रवर्ती, अधिवक्ता, दुर्ग, जिला-दुर्ग को नियमित न्यायालय, दुर्ग में शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम कुमार तिवारी, अतिरिक्त सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 मई 2010

क्रमांक 1122/2317/2010/12.—श्री एस. के. त्रिवेदी, संचालक (प्रभारी) भौमिकी तथा खनिकर्म, छ. ग. रायपुर को दिनांक 28-05-2010 से 05-06-2010 तक कुल 9 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. श्री व्ही. के. मिश्रा, उप सचिव, छ. ग. शासन, खनिज साधन विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से श्री त्रिवेदी के अवकाश अवधि में संचालक, (प्रभारी) भौमिकी तथा खनिकर्म, छ. ग. रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

3. अवकाश से लौटने पर श्री त्रिवेदी को संचालक, (प्रभारी) भौमिकी तथा खनिकर्म, छ. ग. रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. त्रिवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो संचालक, (प्रभारी) भौमिकी तथा खनिकर्म, छ.ग. रायपुर के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 26 मई 2010

क्रमांक 1134/2317/2010/12.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 1121/2317/2010/12 दिनांक 25-05-2010 द्वारा श्री एस. के. त्रिवेदी, संचालक, (प्रभारी) भौमिकी तथा खनिकर्म, छ. ग. रायपुर के अर्जित अवकाश अवधि में श्री व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव, छ. ग. शासन, खनिज साधन विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ संचालक, (प्रभारी) भौमिकी तथा खनिकर्म, छ. ग. रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए श्री जे. के. पशीने, संयुक्त संचालक, (भौमिकी) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छ. ग. रायपुर को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से श्री त्रिवेदी के अवकाश अवधि में संचालक, (प्रभारी) भौमिकी तथा खनिकर्म, छ.ग. रायपुर को अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कनकने, अवर सचिव.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 मई 2010

क्रमांक एफ. 1-31/31/स्था./2010.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर, श्री के. के. मान्धाता, मुख्य अभियंता (सिविल) को पदोन्नत करते हुये, प्रमुख अभियंता के पद पर, पुनरीक्षित वेतन बैंड, रुपये 37400-67000/-+ ग्रेड वेतन रुपये, 10,000/- में, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर में पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. डी. दीवान, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मई 2010

क्रमांक एफ 1-23/2010/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 272 (2) (क) में "(चार) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता परिचय पत्र भी मान्य होगा" अन्तर्निहित करता है.

रायपुर, दिनांक 28 मई 2010

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-2/2006/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रम विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 252/व्हीआईपी/2002/1594, दिनांक 03-07-2002, "छत्तीसगढ़ स्व. रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार नियम" में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है:—

1.1 यह नियम "छत्तीसगढ़ स्व. रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार नियम 2010" के नाम से जाना जायेगा.

1.2 यह पुरस्कार श्रम के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जायेगा.

1.3 यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील होगा.

1.4 यह पुरस्कार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में श्रम क्षेत्र में किये गये उल्लेखनीय/उत्कृष्ट कृत्य के लिये राज्य स्तरीय पुरस्कार की श्रेणी में आयेगा.

1.5 शासन से तात्पर्य "छत्तीसगढ़ शासन, श्रम मंत्रालय" से है.

2. **पात्रता :—** राज्य में स्थित श्रमिक/संस्था यह पुरस्कार प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं.

3. **पुरस्कार :—** इस नियम के तहत चयनित व्यक्ति/संस्था को रुपये 2 लाख नगद पुरस्कार एवं प्रशस्तिपत्र से सम्मानित किया जायेगा.

4. **अर्हताएं :—**

1. उपरोक्त पुरस्कार हेतु व्यक्ति/संस्था को उनके द्वारा श्रम के क्षेत्र में वित्तीय वर्ष में किये गये उल्लेखनीय योगदान के आधार पर चयनित किया जायेगा, मजदूरों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की दिशा में विशेष कारगर उपाय किया हो जिसके फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में कोई गंभीर दुर्घटना न हुई हो एवं सुरक्षा के नियमों का व्यापक प्रचार प्रसार किया हो, जिससे प्रदेश का नाम श्रम जगत में गौरवान्वित हुआ हो.

2. (1) यदि किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी ने राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार प्रदान करने हेतु स्वयं ही विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया हो अथवा उसके नाम का प्रस्ताव उसके संबंधित कार्यालय के माध्यम से विभाग में प्राप्त हुआ हो अथवा अन्य व्यक्ति/कार्यालय/संस्था द्वारा उसका नाम सम्मान/पुरस्कार देने हेतु प्रस्तावित किया गया हो, तो उक्त सभी स्थितियों में संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा ऐसे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी का प्रकरण नियमों के तहत गठित निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा. सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त होने पर ही उसका प्रकरण विभाग द्वारा निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

(2) यदि निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति द्वारा स्वत: ही स्व-विवेक से विचार करते हुए, किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार देने के लिए चयनित किया जाना हो तो उसके चयन के संबंध में प्रशासकीय विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से समन्वय में मान. मुख्यमंत्री जी के आदेश प्राप्त करना आवश्यक होगा.

5. **चयन समिति :—** प्रत्येक 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि में किये गये उपरोक्त कार्यों की विवेचना के आधार पर किये जाने वाले इस पुरस्कार हेतु व्यक्ति/संस्था का चयन माननीय श्रम मंत्री जी, छ. ग. शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जायेगी, जिसमें निम्न व्यक्ति सदस्य होंगे :—

1.	माननीय श्रम मंत्री, छ. ग. शासन	-	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग, छ. ग. शासन	-	सदस्य सचिव
3.	श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर	-	सदस्य
4.	वित्त विभाग का प्रतिनिधि	-	सदस्य
5.	नियोक्ता संगठन का प्रतिनिधि	-	सदस्य
6.	श्रमिक संगठन का प्रतिनिधि	-	सदस्य

6. **आवेदन की प्रक्रिया :—**

1. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित की गयी तिथि तक विहित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे.

2. आवेदन हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन/विज्ञप्ति प्रकाशित किये जायेंगे.

3. यदि कोई आवेदन पत्र विभाग द्वारा निर्धारित किये गये तिथि के पश्चात् प्राप्त होता है, तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही उसे अगले वर्ष के लिए अग्रेषित किया जायेगा.

7. **आवेदन पत्रों पर विचार की प्रक्रिया :—**

1. निर्धारित प्रारूप में प्राप्त आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध क्रम में रखा जायेगा.

2. विभाग पुरस्कार के लिए उपरोक्त नियम क्रमांक 5 के अनुसार उच्च स्तरीय चयन समिति का गठन करेगा.

3. आवेदन पत्रों में से श्रेष्ठ कार्यों के आधार पर श्रमिक/संस्था का चयन "पुरस्कार चयन समिति" द्वारा किया जायेगा.

4. चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा तथा इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी.

8. **पुरस्कार का विलोपन या रद्द करना :—** यह पुरस्कार उस स्थिति में रद्द किया जा सकता है जिसमें यह पाया जाये कि यह धोखाधड़ी या मिथ्या निरूपण से प्राप्त किया गया है. किन्तु विलोपन या रद्द करने का अधिकार चयन समिति के पास ही सुरक्षित रहेगा. विलोपन या रद्द करने के निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी.

9. **अनर्हता :—** पुरस्कार/प्रविष्टि के संबंध में किसी प्रकार का दबाव या प्रलोभन अनर्हता मानी जायेगी.

10. **पुरस्कार वितरण प्रक्रिया :—** यह पुरस्कार वर्ष में एक बार विश्वकर्मा जयंती के दिन अथवा शासन द्वारा निर्धारित अन्य किसी तिथि को प्रदान किया जावेगा.

11. **संशोधन :—** शासन इन नियमों में संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन/शिथिलीकरण करने हेतु सक्षम रहेगा.

2. उपरोक्त नियम राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील माना जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जून 2010

क्रमांक एफ 8-8/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी. सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, भिलाई के बॉयलर क्रमांक 1 (एम.पी. 3519) को दिनांक 11-06-2010 से 09-08-2010 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 1 जून 2010

क्रमांक एफ 8-2/2009/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा जिंदल पावर लिमिटेड के बॉयलर रीजन क्रमांक सी.जी./248 को दिनांक 04-06-2010 से 31-07-2010 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 मई 2010

क्रमांक एफ 1-39/खाद्य/2009/29.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (क्र. 68 सन् 1986) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—**

   (1) ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग तथा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फ़ोरम (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2010 कहलाएंगे.

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं :—** इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (क्र. 68 सन् 1986);

(ख) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग या उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी ;

(ग) "आयोग" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग;.

(घ) "विभाग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग संक्षिप्त में "खाद्य विभाग";

(ङ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, सेवा में भर्ती के लिए नियम 11 के अधीन संचालित प्रतियोगिता परीक्षा;

(च) "फोरम" से अभिप्रेत है, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम;

(छ) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार;

(ज) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्र. एफ 8-5-पच्चीस-4-84 तारीख 26 दिसंबर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(झ) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है, भारत की विधि द्वारा निगमित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त या अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित है;

(ञ) "मान्यता प्राप्त मंडल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य समतुल्य मंडल;

(ट) "मान्यता प्राप्त शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा मण्डल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा मण्डल या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य समतुल्य मण्डल;

(ठ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ड) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ढ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ण) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग या जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम सेवा;

(त) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य.

3. **विस्तार तथा लागू होना.—** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.—** सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व से अनुसूची में उल्लिखित पदों पर मूलतः नियुक्त हों एवं जिनकी नियुक्ति पर कोई विवाद न हों;

(2) वे व्यक्ति जो अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् किन्तु इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व, सेवा में भर्ती किये गये हों;

(3) वे व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे:

परंतु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों के विभिन्न प्रवर्गों की संख्या में, समय-समय पर स्थायी या अस्थायी तौर पर, वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. **भर्ती का तरीका.**—

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:—

(क) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा अथवा मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन द्वारा सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा जैसा कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट है;

(ग) प्रतिनियुक्ति द्वारा या छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2004 के उपबंधों द्वारा.

(2) उप-नियम (1) के खंड (ख) तथा (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के तत्स्थानी प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी भी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके और प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जायेगी.

(4) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो तो नियुक्ति प्राधिकारी, खाद्य विभाग की पूर्व सहमति से, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा जो वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे.

(5) सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए, मेरिट के आधार पर चयन के लिए शासन द्वारा मापदण्ड, विनिर्दिष्ट किए जाएंगे तथापि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक चयन समिति गठित किया जाना आवश्यक होगा जो इन मापदण्डों से भिन्न अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगा.

(6) भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे.

7. **सेवा में नियुक्ति.**—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**— परीक्षा में प्रतियोगिता/चयन के लिए पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

(एक) **आयु.**—

(क) अभ्यर्थी ने विज्ञापन जारी होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गयी आयु पूरी कर ली हो;

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जायेगी;

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम 4 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दस वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जायेगी, अर्थात् :—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों तथा कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यभारित कर्मचारियों को भी उपलब्ध होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छटनी किया गया शासकीय सेवक हो", उसे अपनी आयु में से पूर्व में की गई समस्त अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक सात वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो;

स्पष्टीकरण :— शब्द "छटनी किया गया शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(ङ) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा को कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो;

स्पष्टीकरण :— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी किया गया हो या जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें—

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(3) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(4) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग किया गया हो;

(8) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक.

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत जारी किये गये ग्रीनकार्ड धारण करने वाले अभ्यर्थियों के लिये, उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(छ) जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दंपति के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ज) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(झ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन/निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिक तथा नगर सेना के नान कमीशन्ड अधिकारियों के लिये उनके द्वारा की गयी सेवाओं के लिए, सामान्य उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष तक शिथिलनीय होगी, किन्तु सभी दशाओं में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;

टिप्पणी.—

(1) अभ्यर्थी जो उपर्युक्त खंड (घ) के उपखंड (एक) तथा (दो) में वर्णित रियायतों के अधीन चयन हेतु प्रवेश दिये जाते हों, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छटनी कर दी जाती हो तो वे पात्र बने रहेंगे;

(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेगी, विभागीय अभ्यर्थी को चयन के लिये उपसंजात होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी.

(ट) किसी भी अभ्यर्थी को उपरोक्तानुसार एक या अधिक आधार पर आयु में छूट का लाभ दिये जाने के उपरांत भी, शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी;

(ठ) आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू रहेंगे.

(दो) **शैक्षणिक अर्हतायें.—** अभ्यर्थी के पास अनुसूची के अनुसार शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए.

(तीन) **फीस.—** अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा.

9. **निरर्हता.—** अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/साक्षात्कार/चयन में उपस्थित होने के लिये उसे निरर्हित माना जा सकेगा.

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.**— परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिये किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे किसी अभ्यर्थी को जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा.

11. **प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती.**—

(1) **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती**-नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा—

(एक) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा, ऐसे अंतरालों से ली जावेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समंय पर अवधारित करें;

(दो) परीक्षा, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार चयन समिति द्वारा ली जायेगी.

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती**-सेवा में भर्ती के लिये साक्षात्कार ऐसे अंतरालों से किया जायेगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर अवधारित करें;

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये सीधी भर्ती के प्रक्रम पर पदों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार आरक्षित किया जायेगा;

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, भले ही अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो;

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों को जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा;

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम में 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे;

(7) ऐसे मामले में जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा;

(8) विकलांग व्यक्तियों के लिए, सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार आरक्षण रहेगा.

12. **चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.**—

(1) नियुक्ति प्राधिकारी, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि चयन समिति अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किये गये हैं, तैयार करेगा. सूची को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित किया जायेगा.

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों.

सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम शामिल किये जाने से ही उसे नियुक्ति का अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे यह समाधान नहीं हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

13. **परिवीक्षा.—** सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा.

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :—**

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए अनुसूची में उल्लिखित सदस्यों को समाविष्ट करते हुए एक समिति गठित की जायेगी, परन्तु इस उप-नियम के अधीन समिति के गठन के प्रयोजन के लिये, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा.

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो.

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण दिया जायेगा.

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप-नियम (3) एवं सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार रहेगी.

15. **पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.—**

(1) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण दिया जायेगा.

(2) उप-नियम (1) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष के जनवरी के प्रथम दिन को उन पदों पर या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित अन्य पदों पर जिनसे पदोन्नति की जानी है उतने वर्षों की सेवा जैसा कि अनुसूची के कॉलम (7) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो.

स्पष्टीकरण .— पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति.— संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिससे शासकीय सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और उसके वेतनमान में आने की तारीख से नहीं.

(3) शासन द्वारा पदोन्नति हेतु निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी.

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना.—**

(1) विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जिन्हें सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया हो, यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी.

(2) चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के लिये व्यक्तियों की चयन सूची तैयार करने हेतु मानदण्ड, वरिष्ठता सह उपयुक्तता होगी.

(3) ऐसे चयन सूची की तैयारी के समय, सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे.

स्पष्टीकरण :— ऐसे व्यक्ति का जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधि मान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा.

17. **चयन सूची.—**

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची के कॉलम (7) में उल्लिखित पदों से सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी.

(2) पदोन्नति के लिए चयन सूची, इसके तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के लिये विधिमान्य रहेगी.

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्त्तव्य के निर्वाह अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, आयोग के परामर्श से चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और जहां आवश्यक होगा, नियुक्ति प्राधिकारी यदि उचित समझे,चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा.

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.—**

(1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की नियुक्ति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी.

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व विभागीय पदोन्नति समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख से बीच की कालावधि के दौरान ऐसी कोई गिरावट न आ जाए, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो.

19. **परिवीक्षा.—** सेवा में पदोन्नत किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा.

20. **अन्य शर्तें.—** अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा की शर्तें या उससे संबंधित ऐसे समस्त विषयों के संबंध में जिसके लिये कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है या इन नियमों के अधीन प्रावधान नहीं है, शासन के सचिवालय में समकक्ष पद धारण करने वाले शासकीय सेवकों के लिये लागू नियम तथा आदेश ऐसे रूपभेद उपांतरणों या परिवर्धन यदि कोई हो, के अध्यधीन रहते हुए लागू होंगे, जैसा कि अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए.

परन्तु वेतन, भत्ते, अवकाश या पेंशन से संबंधित विषय, नियम में किसी रूपभेद, उपांतरण या परिवर्धन का आदेश, अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा.

21. **नियंत्रण.—** सेवा के समस्त सदस्य, अध्यक्ष, राज्य आयोग के अधीक्षण एवं नियंत्रण के अधीन होंगे.

22. **सेवा की अन्य शर्तें.—**

(1) सेवा के सदस्यों के लिये सेवा की समस्त शर्तें जो इन नियमों में विशेष रूप से उपबंधित नहीं है, यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे जैसा कि समतुल्य पद धारण करने वाले शासकीय सेवकों को लागू है.

(2) उप-नियम (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार के कर्मचारियों को लागू निम्नलिखित नियम, सेवा के सदस्यों को समय-समय पर किये गये संशोधनों के साथ, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे :—

(क) छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम, भाग-1 तथा 2

(ख) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965

(घ) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा उपचार) नियम, 1951

(ङ) छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम

(च) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976

(छ) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961

(ज) छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी पारिवारिक लाभ निधि नियम, 1974

(झ) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977

(ञ) छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955.

(ट) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अस्थायी तथा अर्ध स्थायी सेवा) नियम, 1960.

23. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो इसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा.

24. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में की गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि स्थापना (सेवा) के कर्मचारियों के साथ ऐसी रीति से संव्यवहार करने की अध्यक्ष, राज्य आयोग की शक्ति को जो उसे उचित तथा युक्तियुक्त प्रतीत होता हो, सीमित या कम करती है.

परन्तु जहां अध्यक्ष, राज्य आयोग का यह समाधान हो जाए कि इन नियमों के प्रवर्तन में किसी विशेष मामले में असम्यक् कष्ट उत्पन्न हो, तो वह उस विशेष नियम को ऐसे विस्तार तथा ऐसे अपवादों तथा शर्तों के अध्यधीन जैसा कि वह आवश्यक समझे, आदेश द्वारा अभिमोजित तथा शिथिल कर सकेगा.

परंतु जहां स्थापना (सेवा) के कर्मचारियों को कोई नियम लागू है उस स्थिति में कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा जो उक्त नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उनके लिए कम अनुकूल हो.

25. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों में की गई कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित किये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी;

26. **निरसन.**— इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं;

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्यवाही, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिये)

छ. ग. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग एवं अधीनस्थ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम

क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पुनरीक्षित वेतन बेंड	ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रजिस्ट्रार	01	उच्च न्यायिक सेवा प्रथम श्रेणी	संवर्ग का वेतनमान	
2.	लेखाधिकारी	01	छ. ग. राज्य सेवा द्वितीय श्रेणी	15600-39100	5400
3.	प्रशासकीय अधिकारी	01	द्वितीय श्रेणी	9300-34800	4400
4.	निज सचिव	01	द्वितीय श्रेणी	9300-34800	4400
5.	निज सहायक/स्टेनोग्राफर ग्रेड-2	01	तृतीय श्रेणी	9300-34800	4300
6.	सहायक-प्रोग्रामर	01	—,,—	9300-34800	4300
7.	अधीक्षक	01	—,,—	9300-34800	4300
8.	न्यायालय अधीक्षक	09	—,,—	9300-34800	4200
9.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	10	—,,—	5200-20200	2800
10.	सहायक ग्रेड-1	02	—,,—	5200-20200	2800
11.	सहायक ग्रेड-2	02	—,,—	5200-20200	2400
12.	रीडर	11	—,,—	5200-20200	2400
13.	नाजिर	10	—,,—	5200-20200	2400
14.	डाटा एण्ट्री आपरेटर	01	—,,—	5200-20200	2200
15.	स्टेनो टायपिस्ट	08	—,,—	5200-20200	1900
16.	सहायक ग्रेड-3	14	—,,—	5200-20200	1900
17.	आफिस मोहर्रिर कम डिस्पेचर	08	—,,—	5200-20200	1900
18.	रिकार्ड कीपर	01	—,,—	5200-20200	1900
19.	वाहन चालक	12	चतुर्थ श्रेणी	5200-20200	1900
20.	आदेशिका वाहक	15	—,,—	4750-7440	1400
21.	दफ़्तरी	01	—,,—	4750-7440	1400
22.	भृत्य	28	—,,—	4750-7440	1300
23.	फर्राश	10	—,,—	4750-7440	1300
24.	स्वीपर	02	—,,—	4750-7440	1300
25.	चौकीदार	14	—,,—	4750-7440	1300

अनुसूची-दो

(नियम 6 देखिये)

भर्ती का तरीका

क्र.	विभाग का नाम	सेवा का नाम छ. ग. राज्य उपभोक्ता आयोग सेवा श्रेणी 1, 2, 3 एवं 4	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		
				सीधी भर्ती द्वारा नियम-8	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा 14	अन्य तरीका
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	छ. ग. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग	रजिस्ट्रार	01	–		उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को प्रतिनियुक्ति द्वारा
2.		लेखाधिकारी	01	–	100% अथवा	छ. ग. शा. वित्त विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा
3.		प्रशासकीय अधिकारी	01	–	100%	
4.		निज सचिव	01	–	100%	
5.		निज सहायक/स्टेनोग्राफर ग्रेड-2	01	–	100%	
6.		सहायक-प्रोग्रामर	01	–	100%	
7.		अधीक्षक	01	–	100%	
8.		न्यायालय अधीक्षक	09	–	100%	
9.		स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	10	75%	25%	
10.		सहायक ग्रेड-1	02	–	100%	
11.		सहायक ग्रेड-2	02	–	100%	
12.		रीडर	11	–	100%	
13.		नाजिर	10	–	100%	
14.		डाटा एण्ट्री आपरेटर	01	100%	–	
15.		स्टेनो टायपिस्ट	08	100%	–	
16.		सहायक ग्रेड-3	14	100%	–	
17.		आफिस मोहर्रिर क्रम डिस्पेचर	08	100%	–	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.		रिकार्ड कीपर	01	100%	–	
19.		वाहन चालक	12	100%	–	
20.		आदेशिका वाहक	15	–	100%	
21.		दफ्तरी	01	–	100%	
22.		भृत्य	28	100%	–	
23.		फर्राश	10	100%	–	
24.		स्वीपर	02	100%	–	
25.		चौकीदार	14	100%	–	

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छ.ग. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग	सेवा श्रेणी वर्ग-3				
	स्टेनोग्राफर-3	21	33	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्व-विद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण. (2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था या शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद् से (क) हिन्दी शीघ्रलेखक के लिये क्रमशः 100 शब्द तथा 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा या (ख) अंग्रेजी शीघ्रलेखक के लिये क्रमशः 100 शब्द तथा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(3) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री का 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिये.	
	डाटा एण्ट्री आपरेटर	21	33	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्व-विद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.	
				(2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी/हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण.	
				(3) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री का 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए. उच्च योग्यता रखने वाले को प्राथमिकता.	
	स्टेनोटायपिस्ट	21	33	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्व-विद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.	
				(2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट हिन्दी/अंग्रेजी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण साथ ही हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति का ज्ञान.	
				(3) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री का 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए.	
	सहायक ग्रेड-3	21	33	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्व-विद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.	
				(2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(3) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री का 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए.	
	आफिस मोहर्रिर कम डिस्पेचर	21	33	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्व-विद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.	
				(2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण.	
				(3) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री का 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए.	
	रिकार्ड कीपर	21.	33	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्व-विद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.	
				(2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण.	
				(3) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री का 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए.	
	वाहन चालक	21	33	(1) किसी भी मान्यता प्राप्त मण्डल से कक्षा आठवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए एवं	
				(2) एल. एम. व्ही. का वैध चालन अनुज्ञप्ति एवं सभी प्रकार के वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए.	
	भृत्य	21	33	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से कक्षा पांचवीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.	
	फर्राश	21	33	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से कक्षा पांचवीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	स्वीपर	21	33	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से कक्षा पांचवीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.	
	चौकीदार	21	33	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से कक्षा पांचवीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.	

अनुसूची–चार

(नियम 15 देखिये)

विभाग का नाम (1)	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति किया जाना है (2)	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जायेगी (3)	पदोन्नति हेतु सेवा की अवधि (4)	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (5)
छ.ग. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग	प्रशासकीय अधिकारी अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण	लेखाधिकारी	5 वर्ष	अध्यक्ष, छ. ग. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग द्वारा नामांकित व्यक्तियों से
	अधीक्षक	प्रशासकीय अधिकारी	5 वर्ष	
	न्यायालय अधीक्षक	अधीक्षक	3 वर्ष	
	निज सहायक/ स्टेनोग्राफर ग्रेड–2	निज सचिव	5 वर्ष	
	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	निज सहायक/ स्टेनोग्राफर ग्रेड–2	5 वर्ष	
	डाटा एण्ट्री आपरेटर	सहायक–प्रोग्रामर	5 वर्ष	
	स्टेनोटायपिस्ट	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	5 वर्ष	
	(लेखा परीक्षा उत्तीर्ण) सहायक ग्रेड–1	न्यायालय अधीक्षक	3 वर्ष	
	सहायक ग्रेड–2 रीडर/नाजिर लेखा परीक्षा उत्तीर्ण	सहायक ग्रेड–1	5 वर्ष	
	सहायक ग्रेड–3 आफिस मोहर्रिर रिकार्ड कीपर	सहायक ग्रेड–2 रीडर/नाजिर	5 वर्ष	
	भृत्य/फर्राश/स्वीपर/ चौकीदार	आदेशिका वाहक/ दफ्तरी	5 वर्ष	

Raipur, the 18th May 2010

No. F 1-39/Food/2009/29.—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986) the State Government, hereby makes the following rules, namely :—

RULES

1. **Short title and Commencement.—**

(1) These rules may be called the Chhattisgarh State Consumer Disputes Redressal Commission & District Consumer Disputes Redressal Forum (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2010.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the "Official Gazette".

2. **Definition.**—In these rules, unless the context otherwise requires ,-

(a) "Adhiniyam" means the Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986) ;

(b) "Appointing Authority" in respect of the service means the President C. G. State Consumer Disputes Redressal Commission or the other officer authorized by him;

(c) "Commission" means Chhattisgarh State Consumer Dispute Redressal Commission;

(d) "Department" means Chhattisgarh State Food Civil Supplies and Consumer Protection Department. In short "Food Department";

(e) "Examination" means competitive examination for recruitment to the service held under rule 11;

(f) "Forum" means District Consumer Dispute Redressal Forum;

(g) "Government" means the Government of Chhattisgarh ;

(h) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizen as specified vide Notification No. F 8-5 XXV-4-84, Dated 26th December, 1984 as amended from time to time ;

(i) "Recognized University" means any University incorporated by Law of the India or recognized by University Grants Commission or other University which is declared by the Government of Chhattisgarh to be a recognized University for the purpose of these rules;

(j) "Recognized Board" means the board of the Secondary Education Chhattisgarh, Raipur or any other equivalent Board Recognized by the Government of Chhattisgarh;

(k) "Recognized Board of Shorthand and Typewriting Examination" means the Board of Chhattisgarh Shorthand and Typewriting Examination or any other equivalent Board Recognized by the Government of Chhattisgarh;

(l) "Schedule" means a Schedule appendend to these rules ;

(m) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article-341 of the Constitution of India ;

(n) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article-342 of the Constitution of India ;

(o) "Service" means the Chhattisgarh State Consumer Disputes Redressal Commission or District Consumer Disputes Redressal Forum Service;

(p) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and Application.**— Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Services) Rules, 1961 these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the Service .**—The Service shall consist of the following persons, namely :—

(I) Persons appointed to the posts mentioned in Schedule holding substantively and whose appointments are not disputed before coming in force of these rules ;

(II) Persons recruited to the service after coming into force of the Adhiniyam but before the commencement of these rules ;

(II) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc.**—The classification of the service, the scale of pay attached to them and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule I .

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of various categories of posts included in the service either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.**—

(1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :—

(a) By direct recruitment by competitive examination or by selection on the basis of merit and interview;

(b) By promotion of members of the service as specified in the Schedule;

(c) By deputation or by provisions of Chhattisgarh Civil Services (Contract Appointment) Rules, 2004.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the corresponding percentage number of such posts specified in Schedule.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons, to be recruited by each methods shall be determined on each occasion by the appointing authority in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the service so require, the Appointing Authority may, with prior concurrence of the Food Department of the Government, adopt such method of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) For post to be filled up by direct recruitment Government may specify norms for selection on the merit basis, however, it will be mandatory on the part of appointing authority to constitute a selection committee, which may adopt other appropriate norms, different from these norms, with consent of the Government.

(6) At the time of recruitment the provisions of Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 and the directions, issued by General Administration Department from time to time, shall be applicable.

7. **Appointment to the Service.**— All appointment to the service after the commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.**—In order to be eligible to compete at the examination/ selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely :—

(One) **Age :—**

(a) The candidate must have attained the age specified in the Schedule on the first day of January next following the date of publication of the advertisement.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 years, if a candidates belongs to a Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of ten years to a women candidate in accordance with the provisions of rule 4 of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rule, 1997.

(d) The upper age limit shall be relaxable to the candidates, who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below, namely :—

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government Servant, should not be more than 38 years of age ;

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be available to the contingency paid employees and work-charged employees and work charged employees of project implementation committee ;

(iii) A candidate, who is "retrenched government servant", shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of seven years even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than Three years.

Explanation – The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this state or any constituent unit for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in the establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of an application made otherwise for employment in the service, in Government Service.

(e) A candidate who is an ex-serviceman will be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.— The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit and due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any Employment Exchange or of an application made otherwise for employment in the Government service :—

(i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and who-

(a) after completion of short term engagement;

(b) full filling the conditions of enrolment, have been discharged;

(iii) Ex-servicemen (Military and Civil) including short service regular commissioned officers discharged on completion of their contract ;

(iv) Ex-servicemen discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies ;

(v) Ex-servicemen invalidated out of service;

(vi) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers ;

(vii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun shot and wounds etc.

(viii) Ex- personnel of Madras Civil Unit.

(f) The upper age limit shall be relaxed upto two years for the candidates holding "Green Card" issued under Family Welfare Programme.

(g) The upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of awarded superior caste couple under the inter-caste marriage incentive programme of the tribal and scheduled caste, Development department.

(h) The upper age limit shall also be relaxable upto 5 years in respect of the sportmen receiving Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur honour, Maharaja Pravir Chand Banjdeo Award and youth receiving National Youth Award.

(i) The upper age limit shall be relaxable upto 38 years of age in respect of candidates who are employees of Chhattisgarh Government/Corporation/Board.

(j) The general upper age limit shall be relaxable up to 8 years to the Swayam Sevi Nagar Sainink and Non Commissioned Officers of Nagar Sena, for the services rendered by them. But, in all conditions their age should not exceed to 38 years.

Note : (1) The Candidates who are admitted to the selection under the relaxation mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (d) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after selection. They will, however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

(2) Age limits shall not be relaxed in any other case, Departmental candidate has to obtain prior permission of his Appointing Authority to proceed for selection.

(k) The maximum upper age limit shall not increase to 45 years for any candidate to enter into Government service even after availing the benefit of age relaxation on the basis of one or more ground as to above.

(l) Instructions regarding age limit issued from time to time by the General Administration Department; shall remain applicable.

(Two) **Educational Qualification.**—A candidate must posses the educational qualification as per Schedule.

(Three) **Fee.**— The candidate must pay fees prescribed by the Appointing Authority.

9. **Disqualification.**— Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for appearing in the examination/interview/selection.

10. **Appointing authority's decision about the eligibility of the candidate shall be final.—** The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for appearing in the examination/ interview shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority, shall be allowed to appear in the examination/interview.

11. **Direct Recruitment by competitive examination/selection.—**

(1) Direct Recruitment by Competitive Examination—Appointing Authority shall constitute selection committee—

(i) Competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, from time to time determine;

(ii) The examination shall be held by the Selection Committee in accordance with the orders issued by the Appointing Authority from time to time.

(2) Direct recruitment by selection— Interview for recruitment to the service shall be made at such intervals, as the appointing authority may from time to time determine;

(3) There shall be reserved posts for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhadc Vargon Ke Liye Aarakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and orders issued by the State Government from time to tume.

(4) In filling up the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, declared by the appointing authority to be suitable for appointment to the Service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(6) At the stage of direct recruitment 30 percent posts shall be reserved for women candidates, in accordance with provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(7) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in, by direct recruitment and it is found in the opinion of the Appointing Authority that there is a possibility the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes may not be available in sufficient number the Appointing Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(8) Reservation for handicapped persons shall be as per the directives of General Administration Department.

12. **List of Candidates Recommended by the Selection Committee.—**

(1) The Appointing Authority shall prepare a list arranged in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the Selection Committee may determine and the list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, but are declared by the Selection Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions and Service) Rules, 1961 the candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names, appear in the list. The inclusion of a candidate's name in

the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidates is suitable in all respect for appointment to the service.

13. **Probation.**— Every Person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

14. **Appointment by Promotion.—**

(1) There shall be constituted a committee, consisting of the member mentioned in Schedule for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates. Provided that, for the purpose of constitution of the Committee under this sub-rule, the provisions of Section-8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Aarakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), shall also be adhered to.

(2) The committee, shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Reservation in promotion shall be given in accordance with the provision of Chhattisgarh Civil Services (Promotion) Rules, 2003.

(4) Procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

15. **Conditions of Eligibility for Promotion.—**

(1) Reservation in Promotion shall be made in accordance with the Provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Promotion) Rule, 2003.

(2) Subject to the provisions of sub-rule (1), the committee shall consider the cases of all persons, who on the first day of January of that year had completed such number of years of services, on the posts from which promotion is to be made or on any other posts declared equivalent there to as specified by the Government in column (7) of the Schedule.

Explanation:— Mathod of Computation for Eligibility for Promotion -The calculation of the period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which the Departmental Promotion Committee is convened shall be counted from the calendar year when the Government Servant has attanined the pay-scale of the respective feeder Cadre/post of service/post and not from the date he has attained the pay-scale.

(3) Promotion shall be made by the Government as per reservation roaster prescribed for promotion.

16. **Preparation of the list of suitable candidates.—**

(1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons found suitable for the promotion to the Service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list.

(2) For preparing the select list of persons for promotion from the post of Class-IV to Class-III and Class-III to Class-III and Class-III to Class-II the criterion shall be seniority subject to fitness.

(3) The name of the employee included in the list shall be arranged in order to seniority in the service or posts, as specified in Scheduled, at the time of preparation of such select list.

Explanation—A person, whose name is included in the select list, but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

17. **Select list.—**

(1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall from the select list for promotion of the members of services from the posts mentioned in column (7) of the Schedule.

(2) The select list for promotion shall be valid for one year from the date of its preparation.

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made in consultation with the Commission and where necessary, Appointing Authority if it thinks fit, may remove the name of such person from the select list.

18. **Appointment to the service from the select list.—**

(1) Appointment of the employees included in the select list shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Promotions) Rules, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Departmental Promotion Committee before the appointment of a person, whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the appointing authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

19. **Probation.**— Every person promoted to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

20. **Other Conditions.**—Conditions of services of officers and employees or all matters relating thereto regarding which no specific provisions are made or not provided under these rules, the rules and orders applicable to the government servants holding equivalent posts in Government Secretariat. Subject to such alteration modification or addition if any, shall be applicable as specified by President, State Consumer Commission from time to time.

Provided that any alteration, modification or addition in the rules, matters related to salaries, allowances, leave or penison, shall not be orderd by the President State Consumer Commission without prior-approval of the State Government.

21. **Control.**—All members of the service shall be under the supervision and control of the President State Commission.

22. **Other Conditions of service.—**

(1) All conditions of service for the members of the service, not specifically provided for in these rules, shall, mutatis mutandis be the same as are applicable to Government servants holding equivalent posts.

(2) Without prejudice to the generality of sub-rule (1), the following rules applicable to the employees of the State Government shall, mutatis mutandis, along with the amendments to be made from time to time apply to the members of the srevice :—

(a) The Chhattisgarh Fundamental Rules, Volumes 1 and 2.

(b) The Chhattisgarh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966.

(c) The Chhattisgarh Civil Services (Conduct) Rules, 1965.

(d) The Chhattisgarh Civil Services (Medical Attendance) Rules, 1951.

(e) The Chhattisgarh Traveling Allowance Rules.

(f) The Chhattisgarh Civil Services (Pension) Rules, 1976.

(g) The Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961.

(h) The Chhattisgarh Government Employees Family Benefit Fund Rules, 1974.

(i) The Chhattisgarh Civil Services (Leave) Rules, 1977.

(j) The Chhattisgarh General Provident Fund Rules, 1955.

(k) The Chhattisgarh Government Servant (Temporary and Quasi-permanent Service) Rules, 1960.

23. **Interpretation.**— If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to Government whose decision thereon shall be final.

24. **Relaxation.**— Nothing in these Rules shall be construed to limit or abridge the powers of the President State Commission to deal with Employees of the establishment in such manner as may appear to him to be just and reasonable;

Provided where the President State Commission is satisfied that the operation of any of these rules causes undue hardship in any particular case, he may by an order dispense with or relax the particular rule to such extent and subject to such exceptions and conditions as he may deem necessary.

Provided that where any Rule is applicable to an Employee of the Establishment, his case shall not be dealt with in the manner lass favourable to him than that provided by the said Rules.

25. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government, from time to time, in this regard.

26. **Repeal.**— All rules corresponding to these rules and enforced immediately before their commencement of these rules, are hereby repealed in respect of matters covered by these rule.

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. D. KUNJAM, Deputy Secretary.

SCHEDULE-I
(See Rule-5)

C. G. State Consumer Disputes Redressal Commission & Sub-ordinate Distt-Consumer Fora Recruitment & Service Conditions Rule

No. (1)	Name of Post (2)	No. of Post (3)	Classification (4)	Revised pay Band (5)	Grade pay (6)
1.	Registrar	01	Member of Higher Judicial Service	Cadre Pay scale	
2.	Accounts Officer	01	C. G. State cadre class-II	15600-39100	5400
3.	Administrative Officer	01	—,,—	9300-34800	4400
4.	Private Secretary	01	—,,—	9300-34800	4400
5.	P. A./Stenographer Grade-II	01	Class-III	9300-34800	4300
6.	Asst. Programmer	01	—,,—	9300-34800	4300
7.	Superintendent	01	—,,—	9300-34800	4300

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Clark of Court	09	Class-III	9300-34800	4200
9.	Stenographer Grade-III	10	—,,—	5200-20200	2800
10.	Assistant Grade-I	02	—,,—	5200-20200	2800
11.	Assistant Grade-II	02	—,,—	5200-20200	2400
12.	Reader	11	—,,—	5200-20200	2400
13.	Nazir	10	—,,—	5200-20200	2400
14.	Data Entry Operator	01	—,,—	5200-20200	2200
15.	Steno Typist	08	—,,—	5200-20200	1900
16.	Office Moherir cum Dispatcher	08	—,,—	5200-20200	1900
17.	Assistant Grade-III	14	—,,—	5200-20200	1900
18.	Record Keeper	01	—,,—	5200-20200	1900
19.	Driver	12	Class-IV	5200-20200	1900
20.	Process Server	15	—,,—	4750-7440	1400
21.	Daftari	01	—,,—	4750-7440	1400
22.	Peon	28	—,,—	4750-7440	1300
23.	Farrash	10	—,,—	4750-7440	1300
24.	Sweeper	02	—,,—	4750-7440	1300
25.	Chowkidar	14	—,,—	4750-7440	1300

SCHEDULE-II
(See Rule-6)

Mode of Appointment

No.	Name of Dept.	Name of Post	No. of Post	Percentage of Post Fill up		
				Direct recruitment	Promotes	Other Mode
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	C. G. State Consumer Disputes Redressal Commission & Sub-ordinate Distt Consumer Fora	Registrar	01	-	-	Deputation from Higher Judicial Service

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.		Accounts Officer	01	-	100% if not available	Deputation from Finance Dept..
3.		Administrative Officer	01	-	100%	
4.		Private Secretary	01	-	100%	
5.		P.A./Stenographer Grade-II	01	--	100%	
6.		Asst. Programmer	01	-	100%	
7.		Superintendent	01	-	100%	
8.		Clark of Court	09	-	100%	
9.		Stenographer Grade-III	10	75%	25%	
10.		Assistant Grade-I	02	-	100%	
11.		Assistant Grade-II	02	-	100%	
12.		Reader	11	-	100%	
13.		Nazir	10	-	100%	
14.		Data Entry Operator	01	100%	-	
15.		Steno Typist	08	100%	-	
16.		Office Moherir cum Dispatcher	08	100%	-	
17.		Assistant Grade-III	14	100%	-	
18.		Record Keeper	01	100%	-	
19.		Driver	12	100%	-	
20.		Process Server	15	- -	100%	
21.		Daftari	01	-	100%	
22.		Peon	28	100%	-	
23.		Farrash	10	100%	-	
24.		Sweeper	02	100%	-	
25.		Chowkidar	14	100%	-	

SCHEDULE-III
(See Rule-8)

Mode of Appointment

Name of Dept. (1)	Name of Post (2)	Min. Age (3)	Max. Age (4)	Required Minimum Educational Qualification (5)	Remark. (6)
C.G. State Consumer Disputes Redressal Commission & Sub-ordinate Distt-Consumer Fora.	Class-III Stenographer Grade-III	21	33	1. Must be a (10+2) pass or 1st year degree from any recognized Board/University and; 2. Must have passed shorthand examination with a speed of 100 words per minutes in Hindi Short-hand & 25 words per minutes in Hindi typewriting or & 100 WPM in English shorthand & 30 WPM in English typewriting from any recognized board. 3. One year Diploma in Computer programming and application (DCPA) from recognized Institution and speed of 10000 key depression per hour.	
	Data Entry Opterator	21	33	1. Must be a (10+2) pass or 1st year degree passed from any recognized Board/University and; 2. Passed with a speed of 25 words of typewriting examination in Hindi/English. 3. One Year Diploma in Computer programming and application (DCPA) from recognized Institution and speed of 10000 key depression per hour.	
	Steno Typist	21	33	1. Must be a (10+2) pass or 1st year degree from any recognized Board/University and; 2. Must have knowledge of shorthand with a speed of 60 WPM in Hindi/ English & passed with 25 WPM in Hindi/English Typewriting examination. 3. One Year Diploma in Computer programming and application (DCPA) from recognized Institution and speed of 10000 key depression per hour.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Assistant Grade-III	21	33	1. Must be a (10+2) pass or 1st year degree from any recognized Board/University and; 2. Having a speed of 25 WPM in Hindi/English Typewriting examination. 3. One Year Diploma in Computer programming and application (DCPA) from recognized Institution and speed of 10000 key depression per hour.	
	Office Moherir cum Dispatcher	21	33	1. Must be a (10+2) pass or 1st year degree from any recognized Board/University and; 2. Having a speed of 25 WPM in Hindi/English Typewriting examination. 3. One Year Diploma in Computer programming and application (DCPA) from recognized Institution and speed of 10000 key depression per hour.	
	Record Keeper	21	33	1. Must be a (10+2) pass or 1st year degree from any recognized Board/University and; 2. Having a speed of 25 WPM in Hindi/English Typewriting examination. 3. One Year Diploma in Computer programming and application (DCPA) from recognized Institution and speed of 10000 key depression per hour.	
	Driver	21	33	Passed 8th class from recognized board and LMV License holder and experience on driving all vehicles.	
	Peon	21	33	Passed 5th class from recognized board.	
	Farrash	21	33	Passed 5th class from recognized board.	
	Sweeper	21	33	Passed 5th class from recognized board.	
	Chowkidar	21	33	Passed 5th class from recognized board.	

SCHEDULE-IV
(See Rule-15)

Name of Dept.	Name of Post from which Promoted	Post to be filled by Promotion	Period of service for Promotion	Name of Member of Dept. Promotion Committee (See rule 15)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C. G. State Consumer Disputes Redressal Commission & Sub-ordinate Distt-Consumer Fora	Administrative Officer with S.A.S. Exam Passed	Accounts Officer	5 Years	Officers nominated by Hon'ble President C.G. State Consumer Disputes Redressal Commission Raipur.
	Superintendent	Administrative Officer	5 Years	
	Clark of Court	Superintendent	3 Years	
	P.A./Stenographer Grade-II	Private Secretary	5 Years	
	Stenographer Grade-III	P.A./Stenographer Grade-II	5 Years	
	Data-Entry Operator	Asst. Programmer	5 Years	
	Steno Typist	Stenographer Grade-III	5 Years	
	With Accounts Exam. Passed Assistant Grade-I	Clark of Court	3 Years	
	With Account Exam. passed Assistant Grade-II/Reader/Nazir	Assistant Grade-I	5 Years	
	Assistant Grade-III/ Office Moherir cum Dispatcher/Record Keeper	Assistant Grade-II/ Reader/Nazir	5 Years	
	Peon/Farrash/Sweeper/ Chowkidar	Process Server/ Daftari	5 Years	

रायपुर, दिनांक 26 मई 2010

क्रमांक एफ 1-8/2004/29.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 06-02-2009 द्वारा माननीय श्री पुन्नूलाल मोहले, भारसाधक मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, लिमिटेड, रायपुर के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है. उक्त आदेश को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय श्री लीलाराम भोजवानी को आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, लिमिटेड, रायपुर के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 4 जून 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2009-2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	खोड्डल	163.53	महाप्रबंधक, जिला व्यापार व उद्योग केन्द्र, कोरबा.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राज पाल सिंह त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र.क्र.-1 अ/82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	सिमगा प. ह. नं. 14	618/1	0.267	कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. डिसनेट संभाग क्रमांक-3, तिल्दा, जिला-रायपुर छ. ग.	सिमगा वितरक-नहर निर्माण हेतु.
			616/2	0.138		
			612/1	0.081		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			612/2	0.004		
			612/4	0.020		
			613	0.295		
			609	0.004		
			606/1	0.036		
			602-1, 2, 3	0.303		
			697/1	0.101		
			698	0.255		
			699	0.004		
			702	0.089		
			700/2	0.004		
			701/1	0.271		
			701/2	0.510		
			701/3	0.113		
			614	0.089		
			703, 704/1	0.109		
			710/2	0.012		
			711/1	0.081		
			731/3	0.154		
			711/2	0.065		
			731/10, 731/11	0.478		
			988/1	0.025		
			988/2	0.057		
			989/1	0.040		
			1028/3	0.049		
			989/5	0.045		
			989/2, 7, 8, 9	0.069		
			1059/1	0.085		
			1061/4	0.202		
			1055/2, 1060/2	0.194		
			1055/10	0.040		
			558	0.073		
			1060/1	0.198		
			1061/1	0.447		
			1044/6	0.044		
			1044/2	0.040		
			1044/7	0.129		
			1046/3	0.032		
			1046/1	0.178		
			543/1	0.101		
			1047	0.012		
			1045/3	0.073		
			544	0.093		
			551/5	0.008		
			512	0.538		
			505/1	0.125		
			506/2	0.036		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			503/1, 505/2	0.138		
			559	0.129		
			543/2	0.093		
			550	0.384		
			551/3	0.004		
			548/5	0.028		
			549/1	0.065		
			548/2	0.259		
			989/6	0.078		
			1045/1	0.073		
			1045/2	0.073		
			703, 704/3	0.057		
			703, 704/4	0.081		
			1059/2	0.085		
			1061/3	0.072		
			1030/12	0.123		
			990/1	0.105		
			1026/5	0.255		
			1026/3	0.061		
			1028/2-6	0.061		
			1030/9	0.190		
			1028/7	0.057		
			1028/1	0.053		
			610	0.012		
			989/4	0.037		
			1028/4	0.057		
			506/1	0.012		
			729	0.024		
			561	0.057		
			1033/9	0.040		
			988/8	0.069		
		योग	80	9.248		

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र.क्र. 13 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	रामपुर प. ह. नं. 17/35	764/15	0.162	कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. डिसनेट संभाग क्रमांक-3, तिल्दा, जिला-रायपुर.	लालपुर उप नहर के निर्माण हेतु.
			764/16	0.004		
			764/17	0.206		
		योग	3	0.372		

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र.क्र. 19 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	कामता प. ह. नं. 16	1235/17	0.397	कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. डिसनेट संभाग क्रमांक-3, तिल्दा, जिला-रायपुर.	सिमगा वितरक नहर के माइनर क्रमांक-3 के निर्माण हेतु.
		योग	1	0.397		

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2010

क्रमांक/क्/भू-अर्जन/प्र.क्र. 20 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	दुलदुला प. ह. नं. 12	716	0.03	कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. डिसनेट संभाग क्रमांक-3, तिल्दा, जिला-रायपुर.	सिमगा वितरक नहर के निर्माण हेतु.
			1055	0.15		
			1118	0.04		
			1119	0.04		
			1168	0.06		
			1080	0.07		
			1121	0.08		
			1108	0.01		
			1112	0.04		
			717	0.20		
			1097	0.01		
			1113	0.09		
			1098	0.01		
			1110	0.08		
			1109	0.06		
			1083	0.03		
			1105	0.02		
			1104	0.15		
			1081	0.08		
			1084/2	0.01		
			1086	0.03		
			1085	0.06		
			1057	0.17		
			1101/1	0.04		
			1103	0.02		
			1138	0.01		
			1101/2	0.04		
			1059	0.01		
			1123	0.11		
		योग	**29**	**1.75**		

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र.क्र. 21 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	पौंसरी प. ह. नं. 15	1419	0.15	कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. डिसनेट संभाग क्रमांक-3, तिल्दा, जिला-रायपुर.	सिमगा वितरक नहर के माइनर क्रमांक-3 के निर्माण हेतु.
			1420	0.01		
			1421	0.01		
			1418	0.05		
			1416	0.08		
			1412	0.02		
			1411	0.11		
			1422	0.06		
			1435	0.03		
			1436	0.01		
			1452	0.01		
			1453	0.01		
			1474	0.04		
			1486	0.03		
			1438	0.02		
			1451	0.04		
			1450	0.19		
			1475	0.03		
			1487	0.06		
			1509	0.02		
			1512	0.04		
			1513	0.03		
		योग	22	1.05		

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र.क्र. 22 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	औरेठी प. ह. नं. 15	272/1	0.02	कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. डिसनेट संभाग क्रमांक-3, तिल्दा, जिला-रायपुर.	सिमगा वितरक नहर के माइनर क्रमांक-2 के निर्माण हेतु.
			272/3	0.032		
			272/2	0.032		
			275	0.045		
			277	0.21		
			276	0.117		
			278/2	0.004		
			283/1	0.093		
			283/2	0.146		
			290/1	0.065		
			283/4	0.016		
			290/2	0.299		
			290/6	0.004		
			290/4	0.049		
			274	0.065		
		योग	**15**	**1.197**		

रायपुर, दिनांक 28 मई 2010

क्रमांक/राजस्व प्र.क्र. 1 अ/82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	कसडोल	चांदन प. ह. नं. 24	104/10	0.120	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	चांदन थरगांव मार्ग के कि.मी. 1/8 पर जोक नदी पर पुल के चांदन की ओर पहुंच मार्ग के एकरेखण.
			104/8	0.084		
			98/3	0.049		
			105/4	0.024		
			98/4	0.048		
			105/9	0.052		
			105/12	0.032		
			100, 101, 104/2/1	0.088		
		योग	8	**0.497**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 11 मई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-घोघल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.216 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
27	0.034
35	0.094
20	0.212
18	0.070
45	0.116
324	0.012
44/6	0.274
158	0.004
70/6	0.236
70/5	0.158
80	0.112
127	0.140
95	0.124
164	0.060
96	0.080
98	0.008
97	0.110
209	0.042
219	0.008

(1)	(2)
124	0.040
125	0.128
126/2	0.032
126/1	0.194
128	0.158
163	0.076
160	0.120
156/2	0.016
265	0.068
172	0.096
85/2	0.096
356/2	0.236
87	0.040
248	0.032
414	0.196
174	0.024
175	0.070
250	0.004
178	0.048
220	0.096
223	0.108
226	0.004
334	0.232
360	0.024
254/2	0.032
254/1	0.044
249/1	0.028
245/2	0.048
350/2	0.160
328	0.156
333	0.232
335/1	0.052
352/1	0.152
352/2	0.152
354	0.012
423	0.116
योग 55	5.216

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-- चपटानाला व्यपवर्तन योजना की दाईं एवं बाईं मुख्य नहर का एवं माइनर नम्बर 1 के लिए निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ मुख्यालय धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 26 मई 2010

क्रमांक/49/अ.वि.अ./भू-अर्जन/02 अ/82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-खट्टीडीह, प. ह. नं. 139/86
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.98 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
120	0.05
235	0.15
50	0.02
227	0.19
355	0.13
118/1	0.01
223	0.22
119	0.21
योग 8	0.98

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- कोडार जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निहारिका बारिक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.